कार्यालय मुख्य सम्पदा प्रबन्धक : राजस्थान आवासन मण्डल : जयपुर वृत्त-द्वितीय जयपुर

क्र0मु0सं0प्र0/ज0वृ-द्वि0/89-90/ 1495 दिनाँक :

~~अध्यक्ष,~~

दीप शिखा कला संस्थान,

~~44,~~ न्यू कालोनी,

जयपुर ।

विषय :- डिस्पोजल आफ प्रोपरटी रैगूलेशन्स 1970 की धारा 34 के अन्तर्गत आवंटित भूखण्ड का आवंटन पत्र ।

सन्दर्भ :- आपका प्रार्थना पत्र दिनाँक ~~24/11/88~~.

महोदय/ महोदया

उपरोक्त सम्बन्ध में आपको सूचित किया जाता है कि आपकी संस्था को सम्पति आवंटन समिति द्वारा दिनाँक 29/12/88 को मानसरोवर योजना में सेक्टर 3 में 3000 वर्ग मी0 भूमि का आवंटन किया गया है । यह आवंटन डिस्पोजल आफ प्रोपरटी रैगूलेशन 1970 की समस्त शर्तों के अनुसार होगा ।

2- (क) भूखण्ड की कीमत का विवरण :

1- भूखण्ड का क्षेत्रफल	:	3,000 वर्ग मीटर
2- भूखण्ड की कीमत	:	6,55,200.00
योग		6.55,200.00

(ख) कब्जा लेने से पूर्व एक माह में जमा कराने योग्य राशि का विवरण:

1- कुल कीमत का 40 प्रतिशत	2,62,080.00
2- अन्य विविध वर्ष प्लस विकास शुल्क	27,200.00
3- लीज की राशि (एक वर्ष की पेशगी)	19,656.00
योग :	3,08,936.00

कृपया उपरोक्त राशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट संलग्न चालान द्वारा इस पत्र के जारी होने के एक माह के अन्दर बनवा कर इस कार्यालय को प्रस्तुत करें ।

(क्र0पृ0उ0)

भूमि की कीमत की शेष 60 प्रतिशत राशि रू0 ~~3,93,120.00~~ आपको 6 छःमाही किश्तों में नीचे लिखी तालिका के अनुसार जमा कराना होगा:-

क्र0सं0	किश्त रू0	ब्याज	कुल राशि	जमा कराने की तिथि
1-	65,520.00	23,587.20	88,807.20	18/2/90
2-	65,520.00	19,656.00	84,876.00	18/8/90
3-	65,520.00	15,724.80	80,944.80	18/2/91
4-	65,520.00	11,793.60	77,013.60	18/8/91
5-	65,520.00	7,862.40	73,082.40	18/2/92
6-	65,520.00	3,931.20	69451.20	18/8/92

नोट : आवश्यक शर्तें :

1- निर्धारित समय में राशि जमा न होने पर आवंटित भूखण्ड का आवंटन निरस्त कर दिया जायेगा व मण्डल उस भूमि को अन्य संस्था को देने के लिए स्वतंत्र होगा ।

2- संस्था को आवंटित भूखण्ड को चार दीवारी के निर्माण पर लगने वाला व्यय संस्था को वहन करना पडेगा जिसका निर्माण मण्डल द्वारा कराया जायेगा ।

3- मण्डल प्रारंभ में 50 प्रतिशत भूमि ही हस्तान्तरित करेगा शेष भूमि संस्था के नाम आरक्षित रखी जायेगी जो निर्माण कार्य की प्रगति को देखने के बाद हस्तान्तरित की जावेगी ।

भवदीय,

सम्पदा प्रबन्धक,
जयपुर वृत द्वितीय,
राज0 आवासन मण्डल,
जयपुर ।

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1- आवासीय अभियन्ता, राज0 आवासन मण्डल, खण्ड 6 जयपुर ।
2- वसूली प्रकोष्ठ, ।